an>

Title: Need to increase work days under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in drought-affected areas particularly in Tikamgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ सहित समूचा बुंदेलखंड क्षेत्र सूखाग्रस्त है और यहां ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं जो काम धंधों की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर शहरी इलाकों में चले जाते हैं। यहां तक कि इस इलाके के लोग काम धंधे की तलाश में दिल्ली तक भी आते हैं।

यहां से उ.प्र. तथा हरियाणा (एनसीआर क्षेत्र) जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग काम धंधे की तलाश में जाते हैं, जिससे वहां मजदूरों की अधिकता वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार इन मजदूरों का शोषण करते हैं और इन्हें संबंधित क्षेत्र में लागू न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते। गरीब मजदूरों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और वे मजबूरी में अपने गुजारे के लिए कम मजदूरी ही स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि ये गरीब मजदूर असंगठित सेक्टर में है, इसलिए दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध किसी तरह की जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है।

मनरेगा के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को अपने ही गांव में 100 दिन की मजदूरी मिलने में मदद मिली है। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कम से कम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ सहित समूचे बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों के लिए मनरेगा के तहत न्यूनतम 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। इसके लिए इन इलाकों को विशेष श्रेणी के जिलों/क्षेत्रों के तौर पर घोषित किया जाए। रोजगार दिवस में वृद्धि करने से गरीब गांव वालों को अपने ही गांव, अपने ही घर पर रहने में मदद मिलेगी और वहां रहकर ही अपने गुजर-बसर करने में मदद मिलेगी और इससे शहरों में ठेकेदार द्वारा इनका शोषण भी नहीं हो सकेगा। एक अन्य पहलू भी है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करने के लिए कृपया एक विशेष सेल बनाया जाए तथा नीति सुझाई जाए, ताकि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो सके।